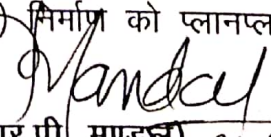


छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
आदेश

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/08/2019
क./ पंग्राविधि/ 14वें वित्त/ 10267/ 2019/55 भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्रमांक D.O. No. M-11011/4/2019-FD दिनांक 02.08.2019 द्वारा प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण 02 अक्टूबर 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक "सबकी योजना सबका विकास" 10,978 ग्राम पंचायतों में पूर्व वर्ष की भांति किया जाना है। कार्यक्रम के लिये प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में फेसिलिटेटर नियुक्त किया जाना है।

उक्त कार्य के लिये प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव को फेसिलिटेटर नियुक्त किया जाता है। उन ग्राम पंचायतों में जहां पंचायत सचिव नहीं है अथवा अतिरिक्त प्रभार में है, वहां ग्राम रोजगार सहायक (मनरेगा) को फेसिलिटेटर नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक के फेसिलिटेटर के कर्तव्य निम्नानुसार है :-

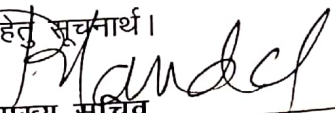
- 1- ग्राम पंचायतों में आधारभूत सर्वेक्षण में सहयोग करना। मिशन अंत्योदय मोबाइल एप से ग्राम पंचायत का सर्वे अनुसार विभिन्न मापदंडों की डाटा मोबाइल एप में प्रविष्टि कर ग्राम पंचायतों की रैंकिंग प्राप्त करना।
- 2- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण हेतु ग्राम सभा को ग्राम पंचायत को प्राप्त रैंकिंग से अवगत कराना।
- 3- फेसिलिटेटर द्वारा सभी 29 सहयोगी विभागों के मैदानी अमले से भी समन्वय स्थापित कर विशेष ग्राम सभा में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
- 4- विशेष ग्राम सभा में विशेष समुदाय जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला स्व सहायता समूह की भी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- 5- ग्राम सभा आयोजन की ऑनलाइन रिपोर्ट gpdp.nic.in पोर्टल में अपलोड करना। जिसमें ग्राम सभा संचालित की जियोटैग फोटो व अन्य गतिविधियों संलग्न मार्गदर्शिका (सबकी योजना सबका विकास) के अनुसार करनी होगी।
- 6- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण में सहयोग करना।
- 7- सर्वसहमति से तैयार ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निर्माण को प्लानप्लस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कराना।


(आर.पी. मण्डल) 31.8.19
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

//2//

पृ.क्रमांक/14FC/पंग्राविवि/1067/2019/100 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03.08.19
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त उप संचालक (पं), जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. ई-पंचायत, नोडल अधिकारी की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।


अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

21.8.19